राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14044/2021

छिंदर पाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम+पोस्ट-चक ज्वाला सिंह वाला, हनुमानगढ़, राजस्थान, वर्तमान में प्लॉट नंबर 268/148 और 149 प्रताप नगर, जयपुर। (जी.एस.एस. स्कूल कुम्हारियावास, चाकसू, जयपुर में कार्यरत पी.ई.टी. ग्रेड)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राजस्थान)
4. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग, जिला जयपुर (राजस्थान)
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री अरविन्द शर्मा सुश्री ममता अग्रवाल
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एस. ज़कावत अली, अपर जी.सी.

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	17/05/2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	25/05/2023

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

(1) इस याचिका में मुद्दा यह है कि "क्या कोई व्यक्ति जो मुख्य रूप से पुरुष अभिविन्यास के साथ महिला के रूप में पैदा हुआ है या इसके विपरीत, उसे अपनी पसंद

के लिंग के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है, जब व्यक्ति को शारीरिक लिंग विशेषताओं में परिवर्तन के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा हो? किसी इंसान का अपना लिंग या लैंगिक पहचान चुनने का अधिकार उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस याचिका में शामिल मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है।

(2) याचिकाकर्ता ने एक महिला लिंग के रूप में जन्म लिया और उसने एक महिला छात्र के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे आदेश दिनांक 12.07.2013 द्वारा सामान्य महिला श्रेणी में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, ग्रेड तीन (संक्षेप में 'पीटीआई ग्रेड-III) के पद पर नियुक्ति मिली तथा सेवा अभिलेख में उसकी स्थिति 'महिला' अंकित की गयी है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने लड़की के रूप में जन्म लिया था और उसके जन्म के समय उसे महिला लिंग बताया गया था, लेकिन वह लिंग पहचान विकार से पीड़ित थी, इसलिए 32 साल की उम्र में उसने एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया जिसने उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया और उसके आधार पर विस्तृत नैदानिक जांच में यह राय दी गई कि याचिकाकर्ता में किसी मानसिक विकार का कोई संकेत नहीं है और वह केवल लिंग पहचान विकार से पीड़ित थी और उसे अनुबंध-4 के अनुसार 'सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी' के लिए फिट पाया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014-2017 में अंधेरी (पश्चिम) मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में फैलोप्लास्टी-पेनिस प्रोस्थेसिस के साथ लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी (महिला से पुरुष) कराई और सर्जरी के बाद, याचिकाकर्ता महिला से पुरुष बन गई। इस सर्जरी के बाद, याचिकाकर्ता पूरी तरह से ठीक हो गई और कार्यात्मक शाफ्ट के साथ एक पुरुष बन गई और हार्मोन थेरेपी पर थी। सलाहकार यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने 09.08.2018 को इस संबंध में अनुबंध-5 के माध्यम से एक प्रमाणपत्र जारी किया। पुरुष लिंग का दर्जा मिलने के बाद, याचिकाकर्ता ने 08.09.2018 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अपना नाम बदल लिया और उसका नाम छिंदर पाल कौर से छिंदर पाल सिंह हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता का नाम उसके आधार कार्ड नंबर 935164446293 में भी छिंदर पाल सिंह कर दिया गया।

(3) याचिकाकर्ता ने अपने सेवा रिकॉर्ड में अपना नाम और लिंग परिवर्तनकरने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के कार्यालय में 22.09.2018 को एक आवेदन दिया। प्राचार्य ने दिनांक 01.10.2018 को आवश्यक कार्यवाही हेतु मामला संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

को प्रेषित किया। लेकिन तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता का नाम और लिंग उसके सेवा रिकॉर्ड में नहीं बदला गया है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है:-

> "इसलिए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा स्वीकार करने और अनुमति देने की कृपा करें:-
>
> I. एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थी को सेवा रिकॉर्ड/पुस्तक में नाम और लिंग बदलने और लाभार्थी के रूप में याचिकाकर्ता परिवार के सदस्य का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया जा सकता है।
>
> II. एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थी को सेवा रिकॉर्ड/पुस्तक में नाम और लिंग को सुश्री छिंदर पाल कौर से छिंदर पाल सिंह और लिंग को महिला से पुरुष में बदलने के लिए निर्देशित किया जाए।
>
> III. एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के नाम और लिंग को बदलने की उनकी वास्तविक प्रार्थना पर विचार करने के बाद 22.09.2018 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
>
> IV. कोई अन्य उचित आदेश, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित पाया जा सकता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाएगा।
>
> V. रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए।

(4) प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ, याचिकाकर्ता ने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई है और वह अपना लिंग बदलने के बाद पुरुष बन गया है और उसने विवाह किया है और विवाह से दो बच्चे पैदा हुए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि जब तक याचिकाकर्ता का नाम और लिंग उसके सेवा रिकॉर्ड में नहीं बदला जाएगा, तब तक उसे और उसके परिवार को उसकी सेवा का लाभ मिलना मुश्किल होगा। अधिवक्ता का कहना है कि दी गई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के लिए याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में ये अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक है।

(5) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को एक महिला

उम्मीदवार के रूप में नियुक्ति मिली थी और उसका नाम और लिंग उसके द्वारा दी गई पहचान के आधार पर दर्ज किया गया था और यदि उसने किसी सर्जरी के बाद अपना लिंग बदल लिया है, तो उसे इस संबंध में सिविल कोर्ट से घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए। अधिवक्ता का कहना है कि जब तक सिविल कोर्ट द्वारा ऐसी घोषणा जारी नहीं की जाती, तब तक याचिकाकर्ता का नाम और लिंग उसके सेवा रिकॉर्ड में नहीं बदला जा सकता है।

(6) बार में दी गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

(7) याचिकाकर्ता अपने यौन रुझान के कारण खुद को एक पुरुष के रूप में पहचानता है और उसने मनोवैज्ञानिक उपचार और लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी करवाई है। अब वह 'पुरुष' के रूप में अपनी पहचान और अपने सेवा रिकॉर्ड में अपना नाम और लिंग परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रत्यर्थी उसके सेवा रिकॉर्ड में ये बदलाव न करने के लिए अड़े हुए हैं।

(8) लिंग पहचान जीवन का सबसे बुनियादी पहलू है जो किसी व्यक्ति के पुरुष या महिला होने के आंतरिक मूल्य को संदर्भित करता है। ऐसे समय होते हैं जब मानव शरीर अपनी सभी उचित विशेषताओं के साथ नहीं बना होता है, इसलिए जननांग शरीर रचना संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनमें से कई लोग अपने लिंग को बदलने के लिए लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी नहीं करवाना चाहते। लैंगिक रुझान या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव किए बिना, हर कोई उन सभी मानवाधिकारों का आनंद लेने का पात्र है जो जीवित रहने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।

(9) *ऋग्वेद* के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं में तीन प्रकार के लिंग माने गए हैं- पुरुष, अर्थात *'पुरुष',* महिला, अर्थात *'प्रकृति'* और तीसरा लिंग, अर्थात *'तृतीया प्रकृति'*। हाल के दिनों में आधुनिक भारतीय समाज ने उन्हें तीसरा लिंग माना है अन्यथा कानूनी तौर पर उन्हें ऐसी कोई पहचान नहीं दी गई थी। फिर भी, सब कुछ ठीक नहीं है और तीसरे लिंग के लोग नागरिक समाज का हिस्सा बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

(10) समानता का अधिकार हमारे भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत है जो हमारा मूल मौलिक अधिकार है जो हमें तब से मिलता है जब हम अपनी माँ के गर्भ का हिस्सा बनते हैं। इस ग्रह पर हर किसी को सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार है,

चाहे वह पुरुष हो या महिला या कोई अन्य लिंग। अतीत तक, हम पुरुष और महिला को दो जैविक लिंग मानते थे लेकिन विकसित विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सिजेंडर के अलावा और भी लिंग हैं।

(11) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) 5 एससीसी 438 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्व-कथित लिंग पहचान की मान्यता के मुद्दे पर विचार किया है और विशेष रूप से माना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इसके पात्र हैं। मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार और निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सहित बुनियादी मानवाधिकार। यह माना गया है कि किसी व्यक्ति का स्वयं-कथित लिंग पहचान का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है और किसी व्यक्ति के साथ जन्म के समय से भिन्न यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(12) इस मुद्दे से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका के मुद्दे पर निम्नानुसार चर्चा की:-

> **"21.** लिंग पहचान जीवन के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है जो किसी व्यक्ति के पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति होने की आंतरिक भावना को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति का लिंग आमतौर पर जन्म के समय निर्धारित होता है, लेकिन व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह ऐसे शरीर के साथ पैदा होता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के शरीर विज्ञान के दोनों या कुछ निश्चित पहलू शामिल होते हैं। कभी-कभी, कुछ व्यक्तियों में जननांग शारीरिक रचना संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, स्वयं के बारे में उनकी सहज धारणा, जन्म के समय उन्हें दिए गए लिंग के अनुरूप नहीं होती है और इसमें ऑपरेशन से पहले और बाद में ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं या उनके पास ऑपरेशन करवाने के संसाधन नहीं है और इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सफल ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। भारत सहित दुनिया भर के देश उन व्यक्तियों को लिंग के आधार पर जिम्मेदार ठहराने के सवाल से जूझ रहे हैं जो मानते हैं कि वे विपरीत लिंग से संबंधित हैं। कुछ व्यक्ति लिंग की उनकी धारणा के अनुरूप लिंग की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर और शारीरिक उपस्थिति को बदलने के लिए शल्य चिकित्सा और अन्य प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिससे कानूनी और सामाजिक जटिलताएं

पैदा होती हैं क्योंकि जन्म के समय उनके लिंग का आधिकारिक रिकॉर्ड भिन्न पाया जाता है। अनुमानित लिंग पहचान प्रत्येक व्यक्ति के लिंग के बारे में गहराई से महसूस किए गए आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव को संदर्भित करती है, जो जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग के अनुरूप हो भी सकती है और नहीं भी, जिसमें शरीर की व्यक्तिगत भावना भी शामिल है जिसमें चिकित्सा द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए, शारीरिक उपस्थिति या कार्यों में संशोधन शामिल हो सकता है। सर्जिकल या अन्य साधन और लिंग की अन्य अभिव्यक्तियाँ, जिनमें पोशाक, भाषण और व्यवहार शामिल हैं। इसलिए, लिंग पहचान का तात्पर्य किसी व्यक्ति की पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर या अन्य पहचानी गई श्रेणी के रूप में स्वयं की पहचान से है।

22. यौन रुझान किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति स्थायी शारीरिक, रोमांटिक और/या भावनात्मक आकर्षण को संदर्भित करता है। यौन अभिविन्यास में भारी यौन अभिविन्यास वाले ट्रांसजेंडर और लिंग-भिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं और लिंग संचरण के दौरान या उसके बाद उनका यौन अभिविन्यास बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी, विषमलैंगिक, अलैंगिक आदि भी शामिल हैं। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्व-परिभाषित यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है और किसी को भी उनकी लिंग पहचान की कानूनी मान्यता की आवश्यकता के रूप में एसआरएस, नसबंदी या हार्मोनल थेरेपी सहित चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

XXX XXX XXX

<u>अनुच्छेद 14 और ट्रांसजेंडर</u>

61. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सरकार भारत के क्षेत्र के भीतर "किसी भी व्यक्ति" को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। समानता में सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद शामिल है। समानता के अधिकार को संविधान की मूल विशेषता घोषित किया गया है और समानों को असमान या असमानों को समान मानना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। संविधान का अनुच्छेद 14 भी समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इसलिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाकर कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व है, ताकि टीजी सहित सभी लोग कानूनों की समान सुरक्षा का आनंद ले सकें और किसी को भी ऐसी सुरक्षा से वंचित

न किया जाए। अनुच्छेद 14 "व्यक्ति" शब्द और इसके प्रयोग को केवल पुरुष या महिला तक सीमित नहीं करता है। हिजड़ा/ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला, "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के साथ-साथ समान नागरिक और नागरिकता अधिकारों सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की कानूनी सुरक्षा के पात्र हैं।

XXX XXX XXX

82. अनुच्छेद 14 में "व्यक्ति" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और अनुच्छेद 15 में "नागरिक" और "लिंग" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 16 में भी अनुच्छेद 19 में "नागरिक" अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 21 में "व्यक्ति" पद का प्रयोग किया गया है। ये सभी अभिव्यक्तियाँ, जो "लिंग तटस्थ" हैं, स्पष्ट रूप से मनुष्यों को संदर्भित करती हैं। इसलिए, वे हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों को अपने दायरे में लेते हैं और पुरुष या महिला लिंग तक ही सीमित नहीं हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, लिंग पहचान किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का मूल आधार बनती है, जो स्वयं की पहचान पर आधारित होती है, न कि शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रिया पर। हमारे विचार में, लिंग पहचान, लिंग का एक अभिन्न अंग है और किसी भी नागरिक के साथ लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो तीसरे लिंग के रूप में पहचान रखते हैं।

XXX XXX XXX

113. सबसे पहले, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि "ट्रांसजेंडर" शब्द का प्रयोग वर्तमान युग में व्यापक अर्थ में किया जाता है। यहां तक कि समलैंगिक, लेस्बियन, उभयलिंगी भी वर्णनकर्ता "ट्रांसजेंडर" में शामिल हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार, "ट्रांसजेंडर" शब्द दो शब्दों, "ट्रांस" और "जेंडर" से बना है। फॉर्मर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "पार" या "परे"। इसलिए, "ट्रांसजेंडर" का व्याकरणिक अर्थ लिंग के पार या परे है। इसे व्यापक शब्द के रूप में जाना जाता है जिसके दायरे में समलैंगिक पुरुष, समलैंगिक, उभयलिंगी और क्रॉस ड्रेसर शामिल हैं। हालाँकि, वर्तमान मुद्दे से निपटने के दौरान हम "ट्रांसजेंडर" अभिव्यक्ति के इस व्यापक अर्थ से चिंतित नहीं हैं।

114. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भारत में ट्रांसजेंडर ने विशिष्ट और अलग वर्ग/श्रेणी मान ली है जो कि कुछ पड़ोसी देशों को छोड़कर दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित नहीं है। इस देश में, टीजी

समुदाय में हिजड़े, किन्नर, कोथिस, अरवानी, जोगप्पा, शिव-शक्ति आदि शामिल हैं। भारतीय समुदाय में ट्रांसजेंडर को हिजड़ा या तीसरे लिंग के लोगों के रूप में जाना जाता है। ट्रांसजेंडर से संबंधित पहचान, संस्कृति या अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है- जिसमें हिजड़ा, अरावनी, कोथिस, जोगता/जोगप्पा और शिव-शक्ति शामिल हैं (हिजड़ा: वे जैविक पुरुष हैं जो समय के साथ अपनी मर्दानगी की पहचान को अस्वीकार कर देते हैं)। महिलाओं के रूप में, या "पुरुष नहीं"। अरावनी: तमिलनाडु में हिजड़ों की पहचान "अरावनी" के रूप में होती है। कोठी: कोठी विषम समूह हैं। कोथि को जैविक पुरुषों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो "स्त्रीत्व" की विभिन्न डिग्री दिखाते हैं। जोगटा/जोगप्पा: वे हैं जो लोग देवी रेनूखा देवी के सेवक के रूप में सेवा करने के लिए समर्पित हैं, जिनके मंदिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौजूद हैं। कभी-कभी, जोगती हिजड़े का उपयोग ऐसे पुरुष-से-महिला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो देवी रेनूखा के भक्त हैं और हिजड़ा समुदाय से भी हैं शिव-शक्तियाँ: उन्हें ऐसे पुरुष माना जाता है जो किसी देवी से प्रभावित हैं या विशेष रूप से उसके करीब हैं और जिनमें स्त्री लिंग की अभिव्यक्ति है)। उनके व्यवहार और कार्य करने का तरीका पुरुषों और महिलाओं की मानक लिंग भूमिका से भिन्न होता है। उनके लिए, जीवन को आगे बढ़ाना कहीं अधिक कठिन है क्योंकि ऐसे लोगों को न तो पुरुषों और न ही महिलाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह विचलन समाज के विशाल बहुमत के लिए अस्वीकार्य है। सम्मानपूर्वक जीवन जीने का प्रयास तो और भी बुरा है। जाहिर तौर पर ट्रांसवेस्टाइट, हिजड़ा व्यापारियों से भीख मांगते हैं, जो अश्लील दुर्व्यवहार की धमकी के तहत, ऐसे घृणित व्यक्तियों की मूक मांगों का तुरंत जवाब देते हैं। अवसर पर, विशेष रूप से त्यौहार के दिनों में, वे जोरदार और विद्रोही गायन और नृत्य के साथ अपने दावों को दबाते हैं। 1987), पृ. 371-87)।

XXX XXX XXX

133. अरस्तू का मानना था कि सभी समान चीजों को समान मानना और सभी असमान चीजों को असमान मानना न्याय है। कांत का विचार था कि न्याय की सभी अवधारणाओं के आधार पर, चाहे उन्हें किसी भी संस्कृति या धर्म ने प्रेरित किया हो, यह सुनहरा नियम है कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि हर कोई दूसरों के साथ व्यवहार करे, जिसमें आप भी शामिल हैं। जब लॉक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कल्पना की, तो उनके मन में जो व्यक्ति थे वे स्वतंत्र रूप से अमीर पुरुष थे। इसी तरह, कांत ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पुरुषों को एक उदार लोकतांत्रिक राज्य का एकमात्र संभावित

नागरिक माना। ये सिद्धांत आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके दृष्टिकोण का पूर्वाग्रह हमारे लिए बहुत स्पष्ट है। न्याय के उत्तर-पारंपरिक उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों में, पृष्ठभूमि धारणा यह है कि मनुष्यों का मूल्य समान है और इसलिए, समान कानूनों के साथ-साथ उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसे "चिंतनशील संतुलन" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की विधि को सबसे पहले नेल्सन गुडमैन ने फैक्ट, फिक्शन एंड फोरकास्ट (1955) में पेश किया था। हालाँकि, यह जॉन रॉल्स ही हैं जिन्होंने "निष्पक्षता के रूप में न्याय" की अवधारणा को प्रस्तुत करके चिंतनशील संतुलन की इस पद्धति को विस्तृत किया। अपने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में, रॉल्स ने लोकतांत्रिक समाजों के लिए न्यायसंगत संस्थानों का एक मॉडल प्रस्तावित किया है। इसमें वह कुछ पूर्व-सैद्धांतिक प्राथमिक नैतिक मान्यताओं ("विचारित निर्णय") पर आधारित है, जिसे वह मानता है कि लोकतांत्रिक समाज के अधिकांश सदस्य स्वीकार करेंगे। "निष्पक्षता के रूप में न्याय[...] पूरी तरह से बुनियादी सहज विचारों पर आधारित होने की कोशिश करता है जो एक संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन के राजनीतिक संस्थानों और उनकी व्याख्याओं की सार्वजनिक परंपराओं में अंतर्निहित हैं। निष्पक्षता के रूप में न्याय आंशिक रूप से एक राजनीतिक अवधारणा है क्योंकि यह शुरू होती है एक निश्चित राजनीतिक परंपरा से। एक लोकतांत्रिक समाज में न्यायपूर्ण संस्थाओं की इस प्रारंभिक समझ के आधार पर, रॉल्स का लक्ष्य सार्वभौमिक नियमों का एक संरचना बनाना है जिसकी मदद से वर्तमान औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के न्याय का आकलन किया जा सके। न्याय की आगामी अवधारणा को "निष्पक्षता के रूप में न्याय" कहा जाता है। जब हम निष्पक्षता के रूप में न्याय की रॉल्स की धारणा को वितरणात्मक न्याय की धारणा के साथ जोड़ते हैं, जिसकी नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी सदस्यता ली है, तो हमें कमजोर समूहों के साथ न्याय करने के लिए न्यायशास्त्रीय आधार मिलता है, जिसमें निश्चित रूप से टीजी भी शामिल हैं। एक बार इसे स्वीकार कर लिया जाता है टीजी भी समाज के कमजोर समूहों और हाशिए पर पड़े वर्ग का हिस्सा हैं, हम उन्हें केवल हाशिए पर रहने वाले अन्य वर्गों के संबंध में मान्यता प्राप्त उपरोक्त अधिकारों के दायरे में ला रहे हैं। आश्वस्त करने के प्रयास में यह न्यूनतम प्रतिक्रिया है उनके द्वारा झेले गए अपमान और चोट ने अब तक उनके मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए तेजी से मार्ग प्रशस्त किया है।

XXX XXX XXX

> **135.2**. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वयं-पहचान वाले लिंग को तय करने के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है और केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया गया है।

(13) उपरोक्त निर्णय के पैरा 135.2 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' (संक्षेप में 2019 का अधिनियम) अधिनियमित किया है और इसके तहत 2020 के नियम भी बनाए गए हैं। 2019 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 2(ट) 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

> "2(ट) "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग उस व्यक्ति के जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है और इसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिला शामिल है (चाहे ऐसे व्यक्ति ने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या हार्मोन थेरेपी कराई हो या नहीं) लेज़र थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी), इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंगभेदी और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगटा जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति।"

(14) 2019 के अधिनियम की धारा 3 उक्त धारा में उल्लिखित आधारों पर किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाती है जिसमें शामिल हैं:-

> "(क) शैक्षिक प्रतिष्ठानों और उनकी सेवाओं से इंकार, या बंद करना, या अनुचित व्यवहार;"
>
> XXX XXX XXX
>
> (ङ) आम जनता के उपयोग के लिए या प्रथागत रूप से समर्पित किसी सामान, आवास, सेवा, सुविधा, लाभ, विशेषाधिकार या अवसर के उपयोग, पहुंच, या प्रावधान या आनंद या उपयोग के संबंध में इनकार या बंद करना, या अनुचित व्यवहार जनता के लिए उपलब्ध;
>
> XXX XXX XXX
>
> (i) सरकारी या निजी प्रतिष्ठान, जिसकी देखभाल या संरक्षण में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो सकता है, उसे पहुंच से इनकार करना, वहां से हटाना, या अनुचित व्यवहार करना।

(14.1) 2019 के अधिनियम का अध्याय III धारा 4 ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान की मान्यता के प्रावधानों से संबंधित है। धारा 5 से 7 इन व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 4 से 7 के प्रासंगिक पैरा को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"4. ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान की मान्यता- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इस रूप में पहचाने जाने का अधिकार होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को स्वयं-कथित लिंग पहचान का अधिकार होगा।

5. पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन- एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप और तरीके से और ऐसे दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है, जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि नाबालिग बच्चे के मामले में, ऐसा आवेदन ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया जाएगा।

6. पहचान प्रमाणपत्र जारी करना- (1) जिला मजिस्ट्रेट आवेदक को धारा 5 के तहत, ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद और ऐसे रूप और तरीके से, ऐसे समय के भीतर, जो निर्धारित किया जा सकता है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिंग को ट्रांसजेंडर के रूप में इंगित करना।

(2) ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग उपधारा (1) के तहत जारी प्रमाणपत्र के अनुसार सभी आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति को जारी किया गया प्रमाणपत्र अधिकार प्रदान करेगा और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान का प्रमाण होगा।

7. लिंग में परिवर्तन— (1) धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी कराता है, तो ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिस चिकित्सा संस्थान में उस व्यक्ति की सर्जरी हुई है उसके चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का जारी प्रमाणपत्र के साथ, संशोधित प्रमाणपत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप और तरीके से, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, भेजा जाएगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ एक आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता से संतुष्ट होने पर, ऐसे प्रारूप और तरीके से लिंग में परिवर्तन का संकेत देने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। और ऐसे समय के भीतर, जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) जिस व्यक्ति को धारा 6 के तहत पहचान प्रमाणपत्र या उपधारा (2) के तहत संशोधित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह जन्म प्रमाणपत्र और ऐसी पहचान से संबंधित अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों में पहला नाम बदलने का पात्र होगा। व्यक्ति:

बशर्ते कि लिंग में ऐसा परिवर्तन और उप-धारा (2) के तहत संशोधित प्रमाणपत्र जारी करने से इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(14.2) इसी तरह, 2019 के अधिनियम के अध्याय IV और V इस अधिनियम के

प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कल्याणकारी उपायों और सरकारी प्राधिकरण के दायित्व से संबंधित हैं। धारा 8 से 11 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> 8. <u>उपयुक्त सरकार का दायित्व—</u> (1) उपयुक्त सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समाज में उनके समावेश को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगी।
> (2) उपयुक्त सरकार ऐसे कल्याणकारी उपाय करेगी जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, और उस सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाएंगे।
> (3) उपयुक्त सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगी जो ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशील, गैर-कलंककारी और गैर-भेदभावपूर्ण हों।
> (4) उपयुक्त सरकार ऐसे व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी।
> (5) उपयुक्त सरकार सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार को बढ़ावा देने और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करेगी।
>
> 9. <u>रोजगार में भेदभाव न करना</u>- कोई भी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
>
> 10. <u>प्रतिष्ठानों के दायित्व</u>- प्रत्येक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।
>
> 11. <u>शिकायत निवारण तंत्र</u>- प्रत्येक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी नामित करेगा।

(15) 2019 के अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि यदि धारा 6(1) के तहत प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी कराता है, तो ऐसा व्यक्ति अधीक्षक या द्वारा इस आशय के लिए जारी प्रमाणपत्र के साथ आवेदन कर सकता है। उस चिकित्सा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसमें उस व्यक्ति की सर्जरी हुई है, निर्धारित तरीके से संशोधित प्रमाणपत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। इस तरह के आवेदन किए जाने पर, संतुष्ट होने पर जिला मजिस्ट्रेट को लिंग में परिवर्तन का संकेत देने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक होता है और ऐसा परिवर्तन किसी

व्यक्ति को जन्म प्रमाणपत्र और उनकी पहचान से संबंधित अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार देगा। 2019 के अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानता और सम्मान प्रदान करना है। 2019 का अधिनियम एक सामाजिक लाभकारी कानून है और इसलिए, इस अधिनियम की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जो उस उद्देश्य को विफल कर देगी जिसके लिए इसे लागू किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था, वह प्राप्त हो जाए। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उसी रूप में मान्यता देना है जैसा वे स्वयं को मानते हैं और, यदि वे लिंग पुनर्निर्धारण प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो उन्हें उचित परिवर्तित प्रमाणपत्र और पहचान दस्तावेज प्रदान करना है। धारा 7 की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिन्हें धारा 6 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया गया है या याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति जो 2019 के अधिनियम के लागू होने से पहले लिंग पुनर्निर्धारण प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, दोनों पहले आवेदन करने के पात्र हैं। अधिनियम की धारा 7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर ही, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जन्म प्रमाणपत्र और अपनी पहचान से संबंधित अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले से ही लिंग पुनर्निर्धारण प्रक्रिया से गुजर चुके व्यक्ति को इस तरह के अधिकार से वंचित करना, अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा, क्योंकि बड़ी संख्या में व्यक्ति समाज में भेदभाव का शिकार होने से वंचित रह जाएंगे।

(16) 2019 के अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकारों को मान्यता देता है और उनके खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत ऐसे व्यक्तियों को गारंटीकृत अधिकारों को प्रभावी बनाना है।

(17) 2019 के अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर, जिसके द्वारा एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को न केवल एक ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है, बल्कि स्वयं-कथित लिंग पहचान का भी अधिकार है, इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता जिसने पुरुष लिंग का विकल्प चुना है और उक्त लिंग के सदस्य के रूप में अपनी आत्म-धारणा में सहायता के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई है, उसे निश्चित रूप से पुरुष लिंग के रूप

में मान्यता दी जाएगी और वह अपने नाम और लिंग में परिवर्तन और उसके सर्विस रिकॉर्ड में सुधार पाने का पात्र है।

(18) यहां यह ध्यान देने योग्य है कि लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद, याचिकाकर्ता ने अपना लिंग बदल लिया है और पुरुष बन गया है और विवाह किया है और विवाह से दो बेटे पैदा हुए हैं। अब याचिकाकर्ता के लिए समाज में अपनी स्थिति और पहचान स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। यदि याचिकाकर्ता की पहचान उसके सेवा रिकॉर्ड में सही नहीं की गई तो याचिकाकर्ता की पत्नी और बच्चों को याचिकाकर्ता का सेवा लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा।

(19) 2019 के अधिनियम की धारा 7 के तहत निहित प्रावधानों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट लिंग पुनर्मूल्यांकन के तथ्य को सत्यापित करने के लिए 2019 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए 2020 के नियमों के तहत निहित प्रक्रिया का पालन करेगा और संतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसी प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष आवेदन करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों अर्थात प्रत्यर्थी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो अपने सेवा रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम और लिंग बदलने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया उस तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे जारी किए गए प्रमाणपत्र के साथ प्रत्यर्थी से संपर्क करेगा।

(20) आदेश पूरा होने से पहले, राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 2019 के अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी और सकारात्मक रूप से लागू करने और प्रत्येक जिले में एक अलग शिकायत निवारण तंत्र मंच स्थापित करने का निर्देश दें। राज्य इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के सभी लाभ प्रदान करेगा। मुख्य सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर इस अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के प्रभावी

कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और 04.09.2023 को या उससे पहले इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(21) कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही एवं इस आदेश के अनुपालन हेतु इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भेजने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(22) उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(23) स्थगन आवेदन और सभी आवेदन, यदि कोई लंबित हैं, तो उनका भी निपटारा किया जाता है।

(24) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(25) इस आदेश के अनुपालन की जांच के लिए इस मामले को 04.09.2023 को सूचीबद्ध करें।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

db/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।